शहर में क्या बंद क्या नहीं, यह निगमायुक्त अनीता यादव के डंडे व उगाही से तय होगा

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

अनीता यादव : तोड़फोड़ किसके इशारे पर?

क्या भाई दूकान बंद है? नहीं-नहीं भईया दुकान तो खुली हुई है। आत्मविश्वास से लबरेज इस आवाज में मुनीद का दर्द भी छलकता गया। सिर्फ अंडे, दूध, ब्रेड को क्रेटों में लगा कर अपनी सील हुई दुकान के बाहर बैठे मुनीद की आँखें भर आयीं।

फरीदाबाद में स्मार्ट होने के चिन्ह हों या नहीं, 'रामराज्य' आने के लक्षण दिखने लगे हैं। कम से कम निगम आयुक्त अनीता यादव की कार्यप्रणाली को प्रथम दृष्टा देखने से ऐसा ही लगता है। सेक्टर 9-10 और 11-12 की डिवाइडिंग सड़क पर खुलने वाले तमाम शोरूमों, ढाबों, और अन्य व्यावसायिक दुकानों को हाई कोर्ट से आदेश के बाद सील कर दिया गया है। जबकि सारे शहर में, यहाँ तक कि सील की गयी दुकानों के पड़ोस में ही, ऐसी सैकड़ों दुकानों और प्रतिष्ठानों की तरफ झाँका भी नहीं गया।

सेक्टर 11-12 की डिवाइडिंग सड़क के दुकानदार वासुदेव का दर्द बेशक न समझें तब भी उनके तर्क में दम है। वासुदेव ने कहा कि सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे कर निगम आयुक्त हमसे अगर ये उम्मीद करती हैं कि हम दो पुश्तों से भरे माल को निकाल कर कहीं और सेट कर दें तो हमें शक है कि वो आईएएस कैसे बन गयीं। वासुदेव ने बताया कि ये दुकानें लगभग 30 वर्षों से बननी शुरू हुई हैं। तबसे लेकर अब तक सीलिंग करने या ग्रीन बेल्ट बचाने की याद प्रशासन को क्यों नहीं आई। आज जब हम अपने खून पसीने की कमाई खा रहे हैं तो प्रशासन को ग्रीन बेल्ट याद आ गया।

एक अन्य दुकानदार गुरविंदर सिंह ने कहा कि वे नियमित रूप से निगम हाउस टैक्स, पानी, सीवर, और कमर्शियल टैक्स जमा कर रहे हैं। यहाँ तक की जीएसटी नंबर लेकर बाकायदा हम रिटर्न भी भर रहे हैं। जब हम सरकार के सभी मापदंडों और नियम कायदों का पालन कर रहे हैं तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

सेक्टर- 9 हुडा मार्किट में किराना स्टोर चलाने वाले श्री जैन का अपना तर्क है, अब कोर्ट बहुत सख्त हो गया है और ऐसी निगम आयुक्त अगर हर जगह आ जाए तो देश कुछ ही दिनों में सुधर जाएगा। मोदी राज में एक चीज बहुत बढ़िया हुई है कि सख्त और ईमानदार अफसरों को खुल्ली छूट दी गई है व्यवस्था को ठीक करने की। जब लोगों ने अवैध दुकाने बनाई हैं तो टूटनी ही चाहिए और ये अतिक्रमण करके रास्तों पर जाम लगाते ही क्यों हैं। हमारे ये इंगित करने पर कि आपने भी तो पूरे बरामदे में अतिक्रमण किया हुआ है, जैन साहब का कहना था कि ये भी कोई अतिक्रमण है, एक मिनट में हटा लेंगे चिप्स ही तो हैं।

सेक्टर- 9-10 की विभाजन सड़क पर ही हार्डवेयर की दुकान करने वाले एक अन्य युवक ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये भाजपा के नेता निगम की सख्ती का बहाना करके भाग गए। जब इनकी अपनी दुकान सील होगी तब साले सब धरने देने लगेंगे पर आज हमारे बुलाने पर बस रस्म अदायगी कर गए। दुकानदार कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भी तैयार हैं पर कम से कम इतना समय तो दिया जाए कि हम अपना सामान निकाल सकें। करोड़ों का माल भरा पड़ा है, सिर्फ 24 घंटे में क्या-क्या करते हम।

हालाँकि सहायक कमिश्नर नगर निगम रोहताश कुमार बिश्नोई का कहना है कि सीलिंग शुरू करने से पहले सभी दुकानदारों को समय रहते नोटिस दिया गया था। प्रशासन हाई कोर्ट की अनुपालना के लिए सीलिंग की कार्यवाही कर रहा है। अगर कोर्ट से दुकानदारों को किसी प्रकार की राहत मिलती है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं।

कुछ दुकानदार जो अपनी सील लगी दुकान के आगे आग ताप रहे थे ने अपने नाम न छापने की शर्त पर भीतरी अंगारों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बताया कि यही निगम के कर्मचारी हमसे पैसे ले जाया करते हैं तब क्यों नहीं कोई कोर्ट इनपर कार्यवाही करती? सेक्टर 9-10 के बीच के सड़क की तो सभी दुकानें इस नाम पर बंद कर दीं कि रिहायशी इलाके में हैं तो क्या हम आज से चला रहे थे? एक भद्र पुरुष ने आवाज दबाते हुए कहा कि ऐसे जो पैसा देते थे वो अलग पर कभी-कभी तो हमने इन निगम वालों के निजी खर्चों का वहन भी इस नाम पर किया है कि चलो कोई नहीं अपने काम के बन्दे हैं वापस दे देंगे पैसे। पर आज तक पैसे वापस नहीं आये।

निगम के कर्मचारियों से यह क्यों न पूछा जाए कि सिर्फ 9-10 और 11-12 सेक्टर की ही दुकानें क्यों सील कर रहे हैं। दांयें हाथ को सड़क जहाँ समाप्त होती है वहां का बाजार तो अतिक्रमण और अवैध का खान है तो उसे क्यों नहीं सील किया जाता। 7-10 सेक्टर को बांटने वाली सड़क भी तो अवैध के साथ-साथ अतिक्रमण से भरी हुई है। नहीं जी वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ इनके बाप मूलचंद का मिलन रेस्टोरेंट है जो भाजपा के विधायक हैं। तो उसे कैसे बंद कर सकते हैं। सारा जोर उन पर चलता है सरकार का जो लाचार हो वरना करो न सबको बंद।

32 वर्षीय ललित ने बताया कि सीलिंग होने से एक तो उन जैसों का रोजगार गया, साथ ही इन दुकानों में काम करने वाले करीब 1000 से जयादा लेबर क्लास के लोगों के पेट पर भी लात मारी गई है। सरकार खुद तो कोई रोजगार दे नहीं सकती और जो हम अपना रोजगार खुद पैदा करके कुछ और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं तो उसपर ये सीलिंग का चाबुक चला दिया। लगभग सभी दुकानदारों के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं तो क्या ऐसे में उन बच्चों पर इसका असर नहीं पड़ेगा? नियम कायदे ठीक बात है पर तानाशाही से लागू करना तो कोई कायदा नहीं।

कुल मिलाकर इन सडकों पर लगभग 103 दुकानें, ढाबे और अन्य व्यावसायिक स्थल सील किये गए। प्रशासनिक नजरिये से देखने पर एक बारगी ऐसा प्रतीत होता है कि शहर को व्यवस्थित रखने के लिए ऐसे अवैध दुकानों को हटाना अति आवश्यक भी है। निगम आयुक्त अनीता यादव ने कहा कि क्योंकि दुकानदारों ने ग्रीन बेल्ट के इलाके में अतिक्रमण कर पक्की टाइल्स लगा ली हैं तो अब उन्हें उखाड़ कर ग्रीन बेल्ट को बचाया जाएगा।

पर ये सिर्फ समस्या का एक पक्ष है। आरडब्लूए सेक्टर-10 ने अवैध दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ हाई कोर्ट में आवाज उठाई हुयी है। साथ ही कहा कि क्योंकि सेक्टर में लोग शोर शराबे और अन्य विसंगतियों से बचने के लिए वे आगे आये हैं । इस प्रकार का अतिक्रमण जहाँ शोर, नालियां जाम, और सड़क जाम हो, साथ ही असामाजिक तत्व इकठ्ठा हों, निवासियों के साथ धोखा है।

बात ठीक प्रतीत होती है। संविधान भी सबको जीवन का अधिकार मूल अधिकारों के तहत देता है। परन्तु समस्या इतना विकराल रूप कैसे धारण करती है इसे भी समझने की आवश्यकता है। दुकानदारों का यह कहना कि ये दुकाने 30-35 वर्षों से चल रही हैं कोई गलत कथन नहीं है। तो जब इतने सालों से अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो रहा था तब निगम क्यों नहीं कोई कार्यवाही कर रहा था? आज जब कोर्ट ने आदेश दिया तो निगम आयुक्त को याद आया है कि इन सड़कों पर अवैध कब्जे हैं?

निगम आयुक्त अनीता यादव ने ग्रीन बेल्ट को बचाने की बात की है। यहाँ तक की सील की हुई दुकानों पर निगम कर्मचारी नजर गढ़ाये बैठे हैं कि कहीं कोई सील न टूटे। अब सवाल ये है कि अनीता यादव की दूरदर्शिता सिर्फ इन दो सेक्टरों की एक सड़क तक ही सीमित है? साथ लगते बाई पास पर अवैध कब्जे का किला खड़ा हो चुका है पर उसपर अब तक आयुक्त की नजर क्यों नहीं गई। या यूँ कहें कि नजर क्यों नहीं जाएगी। ऐसा क्यों है कि निगम के हाथ पैर अदालत के आदेश के बाद ही फुर्ती से चलने लगे। सेक्टर 11-12 की विभाजक सड़क पर एक शनि मंदिर ट्रेफिक जाम का मुख्य कारण है। किसकी कृपा से ये कमाऊ मंदिर चल रहा है? जाहिर है शनि भगवान् को भी निगम और अन्य प्रशासनिक इकाइयों को तेल और चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। तो क्या निगम आयुक्त इसपर भी कोई कार्यवाही करेंगी?

बाटा चौक से बदरपुर की तरफ जाते समय बाएं हाथ पर हनुमान और एक अन्य कृष्ण मंदिर विराजमान हैं जो शाम को टोल रोड पर जाम का मुख्य कारण है। क्या निगम और कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे कभी। जिस प्रकार के प्रदूषण और अतिक्रमण से सेक्टर 10 की जनता परेशान है उस प्रकार टोल देने के बाद भी मंदिर के जाम में न फसना यात्रियों का हक है, उसी प्रकार अवैध मंदिरों की घंटियों और दीगर शोर से निजात मिलना भी आम नागरिक का हक है। जीवन के अधिकार में शोर ना सुनने का भी अधिकार शामिल है।

जिस कर्मठता का परिचय आयुक्त साहिबा ने दिया है वो काबिल-ए-तारीख हैं पर ये अतिक्रमण बिना निगम कर्मचारियों की मिलीभगत के नहीं हुए। तो क्या आयुक्त साहिबा ने किसी भी एक कर्मचारी को निलंबित किया? एक भी भ्रष्ट निगमकर्मी को तलब किया। अगर नहीं तो साफ जाहिर है कि कोर्ट का डंडा चार दिन चलाने के बाद इन्ही दुकानदारों से फिर मलाई खाई जाएगी, बस तब तक दुकान खोलना माना है।

ग्रीन बेल्ट को बचाने का शगूफा बढ़िया है पर निगम को याद रखना चाहिए कि ग्रीन बेल्ट के नाम पर जब लोगों के घर उजड़ते हैं तो मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। निगम खुद ही ग्रीन बेल्ट उजाड़ने देता है पैसे लेकर, और फिर उसपर अपने सारे जीवन की कमाई लगा कर कोई अपना परिवार चलाता है। इस गलती का ठीकरा यदि आम लोगों पर डाल कर उनकी रोजी रोटी को ही भुगतान स्वरूप छीना जाएगा तो याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश के हरे जंगलों से निकला लाल गलियारा कहीं पूरे भारत में न फैल जाये।

पहले दुकानें खुलवाईं, अब बंद करा रहे हैं!

वैध मार्किट न होने से ही अवैध को बढ़ावा

सेक्टर 9,10,11,12 में नगर निगम का दस्ता सीलिंग करता घूम रहा है। ताला जड़ने के बाद अब चौकीदारी का खेल चल रहा है कि कहीं कोई सील न तोड़ी जाए।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दुकानों का विरोध तंग आरडब्लूए ने किया जबकि हर रिहायशी इलाके को रोजमर्रा की जरूरत के लिए दुकानें भी चाहिए। जो दुकानें सील हुई हैं वहाँ से बमुश्किल 100 मीटर पर ही हुडा की सेक्टर मार्केट है। इसी प्रकार सेक्टर 7-10 का बाजार जो सड़क पर ही है लगभग वहाँ भी एक हाउसिंग बोर्ड की मार्केट है। परन्तु इन मार्केटों की दुकानें खाली पड़ीं हैं। कूड़ादान और मलत्याग के स्थान में तब्दील हो चुकी बहुत सी दुकानें इस विसंगति से पर्दा जरूर उठाती हैं।

यदि अवैध दुकानों पर इतनी भीड़ आती है कि सड़क जाम हो रही है तो इसका अर्थ है कि जनता में इनकी मांग है। यही एकमात्र कारण है कि अवैध दुकानें बढती चली गईं अन्यथा क्यों कोई दुकान खोलता वो भी अवैध के ठप्पे एवं खतरे के साथ। वहीं हुडा की बनायी मार्किट भी बिकने के आभाव में बंद पड़ी हैं । सवाल बनता है कि ये अवैध दुकानदार वैध स्थान पर अपनी दुकान क्यों नहीं ले जा रहे?

कारण है उपरोक्त नियमित दुकानों का बेहद महंगा होना। सरकार ने अपनी दुकानें अनुचित रूप से इतने महंगे दाम पर रखी हैं कि लोगों ने वहाँ से बेहतर अवैध रूप से दूकान खोलना अधिक उचित समझा। साथ ही नीतिगत विफलता भी एक कारण है। इतने बड़े-बड़े रिहायशी इलाकों के लिए मार्किट भी उसी अनुपात में बढ़ी बनानी चाहिए थी जो कि नहीं है। सेक्टर 9 और 10 की मार्किट में न उचित पार्किंग की व्यवस्था है न ही इतनी दुकानें कि आम आदमी के जरूरत का सारा सामान मिल सके।

सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड की मार्किट के नाम पर गिनती की सिर्फ चार दुकानें हैं और वो भी ऐसी कि शर्तिया रूप से यदि कोई ढूंढ ले तो उसे इनाम मिलना चाहिए। दुकान का साइज बमुश्किल इतना ही है कि एक पान का खोखा खुल सके या एक स्टूल रखा जा सके, तो क्या स्थानीय निवासियों के आवश्यकताओं की पूर्ति इससे संभव है।

सिर्फ सीलिंग करने से काम बन सके तो निगम को शुभकामनाएं परन्तु अवैध कब्जे कराने के सरकारी ठेकेदारों को बिना रोके ये संभव नहीं। जरूरत है वैध रूप से सुचारु और नागरिकों के मतलब की नीतियां बनाने की, साथ ही उनका क्रियान्वयन भी उसी रूप और नीयत से होने पर ही इन समस्याओं से निजात मिलेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06